



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## प्राधिकृत प्रकाशन

वर्ष ६, अंक ४१] गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८-१४, २०२०/आश्विन १६-२२, शके १९४२ [पृष्ठे १८, किंमत : रुपये १०.००

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.

## भाग एक-अमरावती विभागीय पुरवणी

### अनुक्रमणिका

|                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठे |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठे |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| भाग एक-शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, अनुपस्थितीची रजा (भाग एक-अ, चार-अ, चार-ब व चार-क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. | १-२    | भाग एक-अ.—(भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. | १-२    |
| संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश.                                                                                                                  | २-१८   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |

## शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र.५७४.

### LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai - 400 032, Dated the 31<sup>st</sup> August, 2020.

No. SPP-4119-1781-C.R. 210-D-XIV-2020.—

In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. II of 1974), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Avinash V. Gupta as “ Special Public Prosecutor ” for conducting the Session Case No. 17/2018 pending before Sessions Court, Yavatmal, which is arising out of C.R.No. 302/2018 registered at Wani Police Station, Dist. Yavatmal.

2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers (Appointment, Conditions Of Service and Remuneration) Rules, 1984.

3. Lump sum fees of Rs. 2,50,000/- (Rupees Two lakhs fifty thousand only) as quoted by Adv. Avinash V. Gupta has been already deposited by the applicant Smt. Bhavna Ashok Dethe to the Government, vide R.B.I Challan No. 025546, dated 17-03-2020. The amount will be paid to Adv. Avinash V. Gupta after completion of the case.

4. The Government reserves the right to revoke/modify/ annul the order without assigning any reason.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

VAISHALI P. BORUDE,  
Section Officer.

## संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ, क्र.५७५.

### जिल्हाधिकारी, यांजकडून

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

### शुद्धीपत्र

क्रमांक प्र.अ.-भू.सं.-अका-कावी-४७०-२०२०. —

जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे कार्यालय जिल्हा अमरावती क्र.-प्र.अ.-भू.सं.-अ.का.-कावी-७७३/२०, दिनांक २९-११-२०१९ अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांच्या कार्यालयीन धारीकेवरील भूसंपादन प्रकरण क्र. २०-४७-२०१४-१५, मौजा असदपूर तालुका अचलपूर, जि. अमरावती या प्रकरणांत भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२० ला पृष्ठ १-१२, अ.क्र. १५१२ वर प्रसिध्द झालेली आहे व ती दुरुस्तीसह खालीलप्रमाणे वाचावी.—

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०-४७-२०१४-१५, मौजा असदपूर, ता. अचलपूर, जिल्हा अमरावती.

### या करीता

### असे वाचावे

| भूसंपादन करावयाचे घर नं. व आवश्यक जमिनीचे अदमासे क्षेत्र |                   |                    |                   |                    |                    | भूसंपादन करावयाचे घर नं. व आवश्यक जमिनीचे अदमासे क्षेत्र |                   |                    |                   |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| कलम ११ मालमत्ता                                          | गाव नमुना ८ नुसार | गाव नमुना ८ नुसार  | गाव नमुना ८ नुसार | गाव नमुना ८ नुसार  | गाव नमुना ८ नुसार  | मालमत्ता                                                 | गाव नमुना ८ नुसार | गाव नमुना ८ नुसार  | गाव नमुना ८ नुसार | गाव नमुना ८ नुसार  | गाव नमुना ८ नुसार  |
| अधि- क्र.                                                | (चौ. फुट) प्रमाणे | (चौ. मिटर) प्रमाणे | (चौ. फुट) प्रमाणे | (चौ. मिटर) प्रमाणे | (चौ. मिटर) प्रमाणे | क्र.                                                     | (चौ. फुट) प्रमाणे | (चौ. मिटर) प्रमाणे | (चौ. फुट) प्रमाणे | (चौ. मिटर) प्रमाणे | (चौ. मिटर) प्रमाणे |
| सुचना                                                    |                   |                    |                   |                    |                    |                                                          |                   |                    |                   |                    |                    |
| मधील                                                     | खुली बांधकाम एकूण | खुली बांधकाम एकूण  | खुली बांधकाम एकूण | खुली बांधकाम एकूण  | खुली बांधकाम एकूण  | खुली बांधकाम एकूण                                        | खुली बांधकाम एकूण | खुली बांधकाम एकूण  | खुली बांधकाम एकूण | खुली बांधकाम एकूण  | खुली बांधकाम एकूण  |
| अ. क्र.                                                  | जागा क्षेत्रफळ    | जागा क्षेत्रफळ     | जागा क्षेत्रफळ    | जागा क्षेत्रफळ     | जागा क्षेत्रफळ     | जागा क्षेत्रफळ                                           | जागा क्षेत्रफळ    | जागा क्षेत्रफळ     | जागा क्षेत्रफळ    | जागा क्षेत्रफळ     | जागा क्षेत्रफळ     |
|                                                          | चौ. फुट           | चौ. फुट            | चौ. फुट           | चौ. मी.            | चौ. मी.            | चौ. मी.                                                  | चौ. फुट           | चौ. फुट            | चौ. फुट           | चौ. मी.            | चौ. मी.            |
|                                                          | चौ. फुट           | चौ. फुट            | चौ. फुट           | चौ. मी.            | चौ. मी.            | चौ. मी.                                                  | चौ. फुट           | चौ. फुट            | चौ. फुट           | चौ. मी.            | चौ. मी.            |
| ३ ३९४/१                                                  | ९००               | ०                  | ९००               | ८३.६४              | ०                  | ८३.६४                                                    | ३९४/१             | ६००                | ३००               | ९००                | ५५.७६              |
| ८ ४१३                                                    | ४५०               | १५०                | ६००               | ४१.८२              | १३९४               | ५५.७६                                                    | ४१३               | १५०                | ७५                | २२५                | १३.९४              |
| १८ ४२३/१                                                 | ३००               | ०                  | ३००               | २७.८८              | ०                  | २७.८८                                                    | ४२३/१             | २१८                | ३७                | २५५                | २०.२६              |
| १९ ४२३/२                                                 | ३००               | ०                  | ३००               | २७.८८              | ०                  | २७.८८                                                    | ४२३/२             | १०५                | १५०               | २५५                | ९.७६               |
| २३ ५९                                                    | ४५०               | ०                  | ४५०               | ४१.८२              | ०                  | ४१.८२                                                    | ५९                | २८५                | १६५               | ४५०                | २६.४९              |
| २७ ५४/३                                                  | ३००               | १००                | ४००               | २७.८८              | ९.२९४              | ३७.१७                                                    | ५४/३              | ८०                 | २२०               | ३००                | ७.४३               |
| २९ ९०                                                    | ४५०               | ०                  | ४५०               | ४१.८२              | ०                  | ४१.८२                                                    | ९०                | ३६४                | ८६                | ४५०                | ३३.८३              |
| ३० ९०/१                                                  | ४५०               | ०                  | ४५०               | ४१.८२              | ०                  | ४१.८२                                                    | ९०/१              | १९२                | २५८               | ४५०                | १७.८४              |

शुद्धीपत्र-चालू

या करीता

असे वाचावे

|    |       | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. |       | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. |
|----|-------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| ३३ | ४६/१  | १५०        | ३००        | ४५०        | १३.९४   | २७.८८   | ४१.८२   | ४६/१  | ७५         | ३७५        | ४५०        | ६.९७    | ३४.८५   | ४१.८२   |
| ३७ | ४९    | १००        | ३५०        | ४५०        | ९.२९४   | ३२.५३   | ४१.८२   | ४९    | २२५        | २२५        | ४५०        | २०.९१   | २०.९१   | ४१.८२   |
| ३८ | ५०    | ४५०        | ४५०        | ९००        | ४१.८२   | ४१.८२   | ८३.६४   | ५०    | ५७०        | ३३०        | ९००        | ५२.९७   | ३०.६७   | ८३.६४   |
| ३९ | ५२/२  | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ५२/२  | १५०        | ३००        | ४५०        | १३.९४   | २७.८८   | ४१.८२   |
| ४० | ५२/१  | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ५२/१  | ०          | ४५०        | ४५०        | ०.००    | ४१.८२   | ४१.८२   |
| ४४ | ३०/ब  | ६००        | ३००        | ९००        | ५५.७६   | २७.८८   | ८३.६४   | ३०/ब  | ०          | ४५०        | ४५०        | ०.००    | ४१.८२   | ४१.८२   |
| ४५ | ४१    | ४५०        | ४५०        | ९००        | ४१.८२   | ४१.८२   | ८३.६४   | ४१    | ५१९        | ३८१        | ९००        | ४८.२३   | ३५.४१   | ८३.६४   |
| ४७ | ४०/१  | ३००        | १५०        | ४५०        | २७.८८   | १३.९४   | ४१.८२   | ४०/१  | २२५        | २२५        | ४५०        | २०.९१   | २०.९१   | ४१.८२   |
| ४८ | ४०    | १५०        | ३००        | ४५०        | १३.९४   | २७.८८   | ४१.८२   | ४०    | ०          | ४५०        | ४५०        | ०.००    | ४१.८२   | ४१.८२   |
| ४९ | ३९/अ  | ४००        | ०          | ४००        | ३७.१७   | ०       | ३७.१७   | ३९/अ  | ०          | ३३०        | ३३०        | ०.००    | ३०.६७   | ३०.६७   |
| ५० | ३९/ब  | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ३९/ब  | ०          | ३००        | ३००        | ०.००    | २७.८८   | २७.८८   |
| ५१ | ३८    | २५०        | ११०        | ३६०        | २३.२३   | १०.२२   | ३३.४६   | ३८    | १३         | २८७        | ३००        | १.२१    | २६.६७   | २७.८८   |
| ५२ | ३८/२  | २४०        | १५०        | ३९०        | २२.३    | १३.९४   | ३६.२५   | ३८/२  | ३५         | २६५        | ३००        | ३.२५    | २४.६३   | २७.८८   |
| ५३ | ३८/१  | २२५        | २२५        | ४५०        | २०.९१   | २०.९१   | ४१.८२   | ३८/१  | ०          | ३००        | ३००        | ०.००    | २७.८८   | २७.८८   |
| ५४ | २६    | ६७५        | २२५        | ९००        | ६२.७३   | २०.९१   | ८३.६४   | २६/१  | ५७०        | ३३०        | ९००        | ५२.९७   | ३०.६७   | ८३.६४   |
| ५५ | २७    | ३००        | १५०        | ४५०        | २७.८८   | १३.९४   | ४१.८२   | ५०८/३ | १६२        | २८८        | ४५०        | १५.०६   | २६.७७   | ४१.८२   |
| ५६ | २७/१  | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | २७/१  | १५०        | ३००        | ४५०        | १३.९४   | २७.८८   | ४१.८२   |
| ६१ | ३०/१  | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ३०/१  | १००        | ३५०        | ४५०        | ९.२९    | ३२.५३   | ४१.८२   |
| ६२ | १     | २७२        | ३४०        | ६१२        | २५.२८   | ३१.६    | ५६.८८   | १     | ०          | ६१२        | ६१२        | ०.००    | ५६.८८   | ५६.८८   |
| ६४ | ३     | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ३     | २२५        | २२५        | ४५०        | २०.९१   | २०.९१   | ४१.८२   |
| ६५ | ३/१   | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ३/१   | ८७         | ३६३        | ४५०        | ८.०९    | ३३.७४   | ४१.८२   |
| ६९ | ६९/१  | ३००        | १००        | ४००        | २७.८८   | ९.२९४   | ३७.१७   | ६९/१  | १७५        | २२५        | ४००        | १६.२६   | २०.९१   | ३७.१७   |
| ७० | ८७/१  | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ८७/१  | २२५        | २२५        | ४५०        | २०.९१   | २०.९१   | ४१.८२   |
| ७४ | ३१    | ७००        | २००        | ९००        | ६५.०६   | १८.५९   | ८३.६४   | ३१    | ५७०        | ३३०        | ९००        | ५२.९७   | ३०.६७   | ८३.६४   |
| ७५ | २८    | ४००        | २००        | ६००        | ३७.१७   | १८.५९   | ५५.७६   | २८    | ४८०        | १२०        | ६००        | ४४.६१   | ११.१५   | ५५.७६   |
| ७६ | २८/१  | ४००        | २००        | ६००        | ३७.१७   | १८.५९   | ५५.७६   | २८/१  | ३६०        | २४०        | ६००        | ३३.४६   | २२.३०   | ५५.७६   |
| ७७ | २३    | ४५०        | ४५०        | ९००        | ४१.८२   | ४१.८२   | ८३.६४   | २३    | १८०        | ७२०        | ९००        | १६.७३   | ६६.९१   | ८३.६४   |
| ७८ | २१    | ६००        | ३००        | ९००        | ५५.७६   | २७.८८   | ८३.६४   | २१    | १५०        | ७५०        | ९००        | १३.९४   | ६९.७०   | ८३.६४   |
| ८० | २०    | ७००        | २००        | ९००        | ६५.०६   | १८.५९   | ८३.६४   | २०    | ६००        | ३००        | ९००        | ५५.७६   | २७.८८   | ८३.६४   |
| ८२ | ११/०१ | ३००        | १५०        | ४५०        | २७.८८   | १३.९४   | ४१.८२   | ११/०१ | १५०        | ३००        | ४५०        | १३.९४   | २७.८८   | ४१.८२   |
| ८४ | ९/१   | ३००        | १५०        | ४५०        | २७.८८   | १३.९४   | ४१.८२   | ९/१   | ०          | ४५०        | ४५०        | ०.००    | ४१.८२   | ४१.८२   |
| ८५ | ९     | १५०        | ३००        | ४५०        | १३.९४   | २७.८८   | ४१.८२   | ९     | १४४        | ३०६        | ४५०        | १३.३८   | २८.४४   | ४१.८२   |
| ८८ | ७     | ३००        | ६००        | ९००        | २७.८८   | ५५.७६   | ८३.६४   | ७     | २५२        | ६४८        | ९००        | २३.४२   | ६०.२२   | ८३.६४   |
| ९० | ३२    | ६००        | ३००        | ९००        | ५५.७६   | २७.८८   | ८३.६४   | ३२    | २७०        | १८०        | ४५०        | २५.०९   | १६.७३   | ४१.८२   |
| ९४ | ८३    | ६००        | ३००        | ९००        | ५५.७६   | २७.८८   | ८३.६४   | ८३    | ४५०        | ४५०        | ९००        | ४१.८२   | ४१.८२   | ८३.६४   |

शुद्धीपत्र-चालू

| या करीता |       |            |            |            |         |         |         | असे वाचावे |            |            |            |         |         |         |
|----------|-------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
|          |       | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. |            | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. |
| ९५       | ६३    | ४५०        | ४५०        | ९००        | ४१.८२   | ४१.८२   | ८३.६४   | ६३         | २७०        | ६३०        | ९००        | २५.०९   | ५८.५५   | ८३.६४   |
| ९८       | ७६/ब  | ४००        | २००        | ६००        | ३७.१७   | १८.५९   | ५५.७६   | ७६/ब       | ४७१        | १२९        | ६००        | ४३.७७   | ११.९९   | ५५.७६   |
| १०५      | ८०/२  | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ८०/२       | १७६        | २७४        | ४५०        | १६.३६   | २५.४६   | ४१.८२   |
| ११३      | ३३    | ९००        | ०          | ९००        | ८३.६४   | ०       | ८३.६४   | ३३         | ४५०        | ४५०        | ९००        | ४१.८२   | ४१.८२   | ८३.६४   |
| ११५      | १७/१  | १५०        | ३००        | ४५०        | १३.९४   | २७.८८   | ४१.८२   | १७/१       | ४१२        | ३८         | ४५०        | ३८.२९   | ३.५३    | ४१.८२   |
| ११६      | १७    | १५०        | ३००        | ४५०        | १३.९४   | २७.८८   | ४१.८२   | १७         | ०          | ४५०        | ४५०        | ०.००    | ४१.८२   | ४१.८२   |
| ११७      | १६    | ८००        | ४००        | १२००       | ७४.३५   | ३७.१७   | १११.५   | १६         | ५६०        | ६४०        | १२००       | ५२.०४   | ५९.४८   | १११.५२  |
| १२३      | ८४    | ६००        | ३००        | ९००        | ५५.७६   | २७.८८   | ८३.६४   | ८८         | ५४०        | ३६०        | ९००        | ५०.१९   | ३३.४६   | ८३.६४   |
| १३४      | ४४६   | १०००       | २००        | १२००       | ९२.९४   | १८.५९   | १११.५   | ४४६        | ९२५        | २७५        | १२००       | ८५.९७   | २५.५६   | १११.५२  |
| १३९      | ४४३/१ | २६४        | ०          | २६४        | २४.५४   | ०       | २४.५४   | ४४३/१      | १०३        | १६१        | २६४        | ९.५७    | १४.९६   | २४.५४   |
| १४१      | ४५२/१ | ३४५        | ०          | ३४५        | ३२.०६   | ०       | ३२.०६   | ४५२/१      | २४५        | १००        | ३४५        | २२.७७   | ९.२९    | ३२.०६   |
| १४२      | ४५२/२ | ३४५        | ०          | ३४५        | ३२.०६   | ०       | ३२.०६   | ४५२/२      | २४५        | १००        | ३४५        | २२.७७   | ९.२९    | ३२.०६   |
| १४४      | ४५४/२ | ४५०        | १५०        | ६००        | ४१.८२   | १३.९४   | ५५.७६   | ४५४/२      | १००        | २००        | ३००        | ९.२९    | १८.५९   | २७.८८   |
| १४६      | ४५२/२ | ३३०        | ०          | ३३०        | ३०.६७   | ०       | ३०.६७   | ४५२/२      | ०          | २१०        | २१०        | ०.००    | १९.५२   | १९.५२   |
| १४७      | २५२/१ | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ४५२        | २१०        | २४०        | ४५०        | १९.५२   | २२.३०   | ४१.८२   |
| १४९      | ४५२/१ | ०          | ३००        | ३००        | ०       | २७.८८   | २७.८८   | ४५२/१      | २४         | २७६        | ३००        | २.२३    | २५.६५   | २७.८८   |
| १५०      | ४३९   | ४४१        | ४२०        | ८६१        | ४०.९९   | ३९.०३   | ८०.०२   | ४३९        | ८१         | ७८०        | ८६१        | ७.५३    | ७२.४९   | ८०.०२   |
| १५२      | ४३९/२ | ४४०        | ३०८        | ७४८        | ४०.८९   | २८.६२   | ६९.५२   | ४३९/२      | २६४        | ४८४        | ७४८        | २४.५४   | ४४.९८   | ६९.५२   |
| १५४      | ४३०/१ | ९८७        | ०          | ९८७        | ९१.७३   | ०       | ९१.७३   | ४३०/१      | ६१४        | ३७३        | ९८७        | ५७.०६   | ३४.६७   | ९१.७३   |
| १५५      | ४२९   | ३७८        | २१०        | ५८८        | ३५.१३   | १९.५२   | ५४.६५   | ४२९        | १६८        | ४२०        | ५८८        | १५.६१   | ३९.०३   | ५४.६५   |
| १५६      | ४२६   | २७०        | १५०        | ४२०        | २५.०९   | १३.९४   | ३९.०३   | ४२६        | १६७        | २५३        | ४२०        | १५.५२   | २३.५१   | ३९.०३   |
| १५९      | ४३८/१ | ३००        | ०          | ३००        | २७.८८   | ०       | २७.८८   | ४३८/२      | ०          | ३००        | ३००        | ०.००    | २७.८८   | २७.८८   |
| १६०      | ४३८/१ | २००        | ०          | २००        | १८.५९   | ०       | १८.५९   | ४३८/१      | ०          | २००        | २००        | ०.००    | १८.५९   | १८.५९   |
| १६१      | ४३८   | ०          | ४८०        | ४८०        | ०       | ४४.६१   | ४४.६१   | ४३८        | ०          | ३६०        | ३६०        | ०.००    | ३३.४६   | ३३.४६   |
| १६५      | ४३२/अ | ९२५        | ०          | ९२५        | ८५.९७   | ०       | ८५.९७   | ४३२/अ      | २४०        | ६८५        | ९२५        | २२.३०   | ६३.६६   | ८५.९७   |
| १६७      | ४३२   | ७१४        | १५०        | ८६४        | ६६.३६   | १३.९४   | ८०.३    | ४३२        | ५४४        | ३२०        | ८६४        | ५०.५६   | २९.७४   | ८०.३०   |
| १६९      | ४३०/१ | ४४०        | ०          | ४४०        | ४०.८९   | ०       | ४०.८९   | ४३०/१      | १५७        | २८३        | ४४०        | १४.५९   | २६.३०   | ४०.८९   |
| १७३      | ४२८/अ | ४००        | ०          | ४००        | ३७.१७   | ०       | ३७.१७   | ४२८/अ      | १९८        | २०२        | ४००        | १८.४०   | १८.७७   | ३७.१७   |
| १७६      | ४५७/१ | ४०५        | ४०५        | ८१०        | ३७.६४   | ३७.६४   | ७५.२८   | ४५७/१      | ५३६        | २७४        | ८१०        | ४९.८१   | २५.४६   | ७५.२८   |
| १७७      | ४५७   | ९८०        | २८०        | १२६०       | ९१.०८   | २६.०२   | ११७.१   | ४५७        | ६७२        | ५८८        | १२६०       | ६२.४५   | ५४.६५   | ११७.१०  |
| १८३      | ४६९   | ८८५        | २४०        | ११२५       | ८२.२५   | २२.३    | १०४.६   | ४६९        | ७५०        | ३७५        | ११२५       | ६९.७०   | ३४.८५   | १०४.५५  |
| १८५      | ४५८/३ | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ४५८/३      | १५०        | ३००        | ४५०        | १३.९४   | २७.८८   | ४१.८२   |
| १८७      | ४५८/२ | ३००        | १५०        | ४५०        | २७.८८   | १३.९४   | ४१.८२   | ४५८/२      | १५०        | ३००        | ४५०        | १३.९४   | २७.८८   | ४१.८२   |
| १९९      | ४६०/१ | ४४०        | ०          | ४४०        | ४०.८९   | ०       | ४०.८९   | ४६०/१      | २८४        | १५६        | ४४०        | २६.३९   | १४.५०   | ४०.८९   |
| २००      | ४६०/२ | ४२०        | ०          | ४२०        | ३९.०३   | ०       | ३९.०३   | ४६०/२      | २७७        | १४३        | ४२०        | २५.७४   | १३.२९   | ३९.०३   |

शुद्धीपत्र-चालू

या करीता

असे वाचावे

|     |           | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. |       | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ.<br>फुट | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. |
|-----|-----------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| २०१ | ४६६       | २३०        | ०          | २३०        | २१.३८   | ०       | २१.३८   | ४६६/२ | २६         | २०४        | २३०        | २.४२    | १८.९६   | २१.३८   |
| २०२ | ४६६/१     | ०          | २३१        | २३१        | ०       | २१.४७   | २१.४७   | ४६६/अ | ०          | २३१        | २३१        | ०.००    | २१.४७   | २१.४७   |
| २०३ | ४६६/२     | ०          | २३१        | २३१        | ०       | २१.४७   | २१.४७   | ४६६/१ | ०          | २३१        | २३१        | ०.००    | २१.४७   | २१.४७   |
| २०५ | ४६३       | ४५०        | ०          | ४५०        | ४१.८२   | ०       | ४१.८२   | ४६३   | ३००        | १५०        | ४५०        | २७.८८   | १३.९४   | ४१.८२   |
| २०७ | २६४/२     | २८०        | ०          | २८०        | २६.०२   | ०       | २६.०२   | २६४/२ | १६०        | १२०        | २८०        | १४.८७   | ११.१५   | २६.०२   |
| २०८ | २६४/३     | २८०        | ०          | २८०        | २६.०२   | ०       | २६.०२   | २६४/३ | १६०        | १२०        | २८०        | १४.८७   | ११.१५   | २६.०२   |
| २१४ | ४७२/अ     | ६५०        | ३६१        | १०११       | ६०.४१   | ३३.५५   | ९३.९६   | ४७२/अ | ४९६        | ४९५        | ९९१        | ४६.१०   | ४६.००   | ९२.१०   |
| २१५ | ४७२       | ८२५        | ०          | ८२५        | ७६.६७   | ०       | ७६.६७   | ४७२   | ५२५        | ३००        | ८२५        | ४८.७९   | २७.८८   | ७६.६७   |
| २२७ | ४७७       | २८८        | ६३६        | ९२४        | २६.७७   | ५९.११   | ८५.८७   | ४७७   | २८८        | ६३६        | ९२४        | २६.७७   | ५९.११   | ८५.८७   |
| २२८ | ३७५       | ३६०        | ०          | ३६०        | ३३.४६   | ०       | ३३.४६   | ३७५   | १८०        | १८०        | ३६०        | १६.७३   | १६.७३   | ३३.४६   |
| २२९ | ३७५/२     | ३६०        | ०          | ३६०        | ३३.४६   | ०       | ३३.४६   | ३७५/२ | २६०        | १००        | ३६०        | २४.१६   | ९.२९    | ३३.४६   |
| २३२ | ५०८/२     | ५३७        | ०          | ५३७        | ४९.९१   | ०       | ४९.९१   | ५०८/१ | ५३         | ४८४        | ५३७        | ४.९३    | ४४.९८   | ४९.९१   |
| २३३ | ५०८/२     | ५३७        | ०          | ५३७        | ४९.९१   | ०       | ४९.९१   | ५०८/३ | २४९        | २८८        | ५३७        | २३.१४   | २६.७७   | ४९.९१   |
| २३५ | ५०५/३     | ५००        | ०          | ५००        | ४६.४७   | ०       | ४६.४७   | ५०५/३ | २४         | ४७६        | ५००        | २.२३    | ४४.२४   | ४६.४७   |
| २३६ | ५०५/३     | २५०        | २५०        | ५००        | २३.२३   | २३.२३   | ४६.४७   | ५०५/३ | १६९        | ३३१        | ५००        | १५.७१   | ३०.७६   | ४६.४७   |
| २४४ | ५००/१     | ५९५        | ०          | ५९५        | ५५.३    | ०       | ५५.३    | ५००/१ | १०५        | १४०        | २४५        | ९.७६    | १३.०१   | २२.७७   |
| २४५ | ५०१       | ४२०        | ४२०        | ८४०        | ३९.०३   | ३९.०३   | ७८.०७   | ५०१   | ३७४        | ३९१        | ७६५        | ३४.७६   | ३६.३४   | ७१.१०   |
| २४७ | ५००/१     | ७०९        | ०          | ७०९        | ६५.८९   | ०       | ६५.८९   | ५००/१ | १६९        | ५४०        | ७०९        | १५.७१   | ५०.१९   | ६५.८९   |
| २४८ | ४९८       | ७९४        | ०          | ७९४        | ७३.७९   | ०       | ७३.७९   | ४९८   | ६५०        | ५९         | ७०९        | ६०.४१   | ५.४८    | ६५.८९   |
| २५५ | ४९९/१     | ४०५        | ०          | ४०५        | ३७.६४   | ०       | ३७.६४   | ४९९/१ | ७५         | ३३०        | ४०५        | ६.९७    | ३०.६७   | ३७.६४   |
| २५६ | ५९७       | ९४५        | ५४०        | १४८५       | ८७.८३   | ५०.१९   | १३८     | ५९७   | ८१८        | ६६७        | १४८५       | ७६.०२   | ६१.९९   | १३८.०१  |
| २५७ | ४८२/२     | ११७        | ०          | ११७        | १०.८७   | ०       | १०.८७   | ४८२/२ | ०          | ११७        | ११७        | ०.००    | १०.८७   | १०.८७   |
| २५९ | ४३८/१     | ६६०        | ३००        | ९६०        | ६१.३४   | २७.८८   | ८९.२२   | ४८३/१ | ३४५        | ६५५        | ९६०        | ३२.०६   | ५७.१६   | ८९.२२   |
| २६० | ४८३,४८२/१ | ५९५        | ३४०        | ९३५        | ५५.३    | ३१.६    | ८६.९    | ४८२/१ | १२०        | ३०५        | ४२५        | ११.१५   | २८.३५   | ३९.५०   |
| २६१ | ४६२/१     | ४३२        | ०          | ४३२        | ४०.१५   | ०       | ४०.१५   | ४८२/१ | १२२        | ३१०        | ४३२        | ११.३४   | २८.८१   | ४०.१५   |
| २६३ | ४८३       | ५१५९       | ०          | ५१५९       | ४७९.५   | ०       | ४७९.५   | ४८३   | ३४८४       | १६७५       | ५१५९       | ३२३.७९  | १५५.६७  | ४७९.४६  |
| २६५ | ४८४/५     | ०          | २८६        | २८६        | ०       | २६.५८   | २६.५८   | ४८४/५ | १३३        | ११३        | २४६        | १२.३६   | १०.५०   | २२.८६   |
| २७६ | ५४२       | ३२३        | २०४        | ५२७        | ३०.०२   | १८.९६   | ४८.९८   | ५४२   | ५२७        | ०          | ५२७        | ४८.९८   | ०.००    | ४८.९८   |
| २७८ | ५४२/१     | २५२        | १२०        | ३७२        | २३.४२   | ११.१५   | ३४.५७   | ५४२/१ | २३९        | १३३        | ३७२        | २२.२१   | १२.३६   | ३४.५७   |
| २८४ | ५४६       | ०          | ४६५        | ४६५        | ०       | ४३.२२   | ४३.२२   | ५४६   | ३००        | १६५        | ४६५        | २७.८८   | १५.३३   | ४३.२२   |
| २८९ | २३८/क     | ६५६        | ०          | ६५६        | ६०.९७   | ०       | ६०.९७   | २३८/क | ५७०        | ८६         | ६५६        | ५२.९७   | ७.९९    | ६०.९७   |
| २९३ | २३८/२     | ८३७        | २७०        | ११०७       | ७७.७९   | २५.०९   | १०२.९   | २३८/२ | ४६४        | ६४३        | ११०७       | ४३.१२   | ५९.७६   | १०२.८८  |
| २९४ | २३८/१     | ९४३        | ०          | ९४३        | ८७.६४   | ०       | ८७.६४   | २३८/१ | ०          | ९४३        | ९४३        | ०.००    | ८७.६४   | ८७.६४   |
| ३०२ | ५४८       | ९७२        | ०          | ९७२        | ९०.३३   | ०       | ९०.३३   | ५४८   | ७७८        | १९४        | ९७२        | ७२.३०   | १८.०३   | ९०.३३   |
| ३०३ | ५४८/ब     | ०          | ५०४        | ५०४        | ०       | ४६.८४   | ४६.८४   | ५४८/ब | ५६         | ४४८        | ५०४        | ५.२०    | ४१.६४   | ४६.८४   |

शुद्धीपत्र-चालू

| या करीता |         |         |         |         |         |         |         |         | असे वाचावे |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| चौ. फुट  | चौ. फुट | चौ. फुट | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. फुट    | चौ. फुट | चौ. फुट | चौ. मी. | चौ. मी. | चौ. मी. |
| ३०५      | ५४८     | १२००    | १०००    | २२००    | १११.५   | ९२.९४   | २०४.५   | ५४८     | १०५८       | ११४२    | २२००    | ९८.३३   | १०६.१३  | २०४.४६  |
| ३०६      | ५४४/१   | १४४     | ०       | १४४     | १३.५८   | ०       | १३.५८   | ५४८/१   | ०          | १४४     | १४४     | ०.००    | १३.३८   | १३.३८   |
| ३०९      | ५४७/१   | ६८०     | ०       | ६८०     | ६३.२०   | ०       | ६३.२    | ५४७/१   | २६०        | ३८४     | ६४४     | २४.१६   | ३५.६९   | ५९.८५   |
| ३११      | ५४४     | २२०     | २६४     | ४८४     | २०.४५   | २४.५४   | ४४.९८   | ५४४     | २६४        | २२०     | ४८४     | २४.५४   | २०.४५   | ४४.९८   |
| ३१४      | ५४७/२   | २७५     | ०       | २७५     | २५.५६   | ०       | २५.५६   | ५४७/२   | १०         | १८८     | १९८     | ०.९३    | १७.४७   | १८.४०   |
| ३३२      | ३४०/अ   | ६००     | ०       | ६००     | ५५.७६   | ०       | ५५.७६   | ३४०/अ   | ०          | ६००     | ६००     | ०.००    | ५५.७६   | ५५.७६   |
| ३३३      | ३४०/२   | ४९९.८   | ०       | ४९९.८   | ४६.४५   | ०       | ४६.४५   | ३४०/२   | ३४५        | १५५     | ५००     | ३२.०६   | १४.४१   | ४६.४७   |
| ३३४      | ३४०/१   | ७५०     | ०       | ७५०     | ६९.७    | ०       | ६९.७    | ३४०/१   | ५९६        | १५४     | ७५०     | ५५.३९   | १४.३१   | ६९.७०   |
| ३३५      | ३४०     | १०००    | ०       | १०००    | ९२.९४   | ०       | ९२.९४   | ३४०     | ८७९        | १२१     | १०००    | ८१.६९   | ११.२५   | ९२.९४   |
| ३३८      | ३४०/ब   | ६००     | ०       | ६००     | ५५.७६   | ०       | ५५.७६   | ३४०/ब   | १८१        | ४१९     | ६००     | १६.८२   | ३८.९४   | ५५.७६   |

दिनांक १८ सप्टेंबर २०२०.

भाग १ (अ. वि. पु) म. शा. रा., अ. क्र.५७६.

शुद्धीपत्र

क्रमांक शिरदा-अका-कावि-२७५-२०२०. —

जिल्हाधिकारी, अमरावती-क्र.प्र.अ.-भू.सं.अ.का.-कावि-४८६-२०२०, दिनांक २८-९-२०२०, निम्न साखळी बृ.ल.पा. प्रकल्पा अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग, अमरावती यांचेकडून भूसंपादनाचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानुसार भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७-२०१५-१६, मौजा सालोड, तालुका नांदगाव खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती येथील कलम १९ च्या अधिसूचनेमधील गट क्रमांक १४९ पैकी दै. निर्भय संचार दिनांक १८-२-२०२०, दै. नवभारत दिनांक १६-२-२०२० व महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक फेब्रुवारी २७- मार्च ४, २०२० ला पृष्ठ १-४, अ.क्र १६२ वर प्रसिद्ध झाली असून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.—

| या करीता |                            |                     |                |              | असे वाचावे |                            |                     |                |              |
|----------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| अ.क्र.   | सर्व्हे नंबर किंवा गट नंबर | अंदाजित क्षेत्र     |                |              | अ.क्र.     | सर्व्हे नंबर किंवा गट नंबर | अंदाजित क्षेत्र     |                |              |
|          |                            | लागवड योग्य क्षेत्र | पोट ख. क्षेत्र | एकूण क्षेत्र |            |                            | लागवड योग्य क्षेत्र | पोट ख. क्षेत्र | एकूण क्षेत्र |
|          |                            | हे. आर              | हे. आर         | हे. आर       |            |                            | हे. आर              | हे. आर         | हे. आर       |
| ३२       | १४९ पैकी                   | १ ३०                | . .            | १ ३०         | ३२         | १४९ पैकी                   | १ ०३                | . .            | १ ०३         |

अमरावती :  
दिनांक २८ सप्टेंबर २०२०.

शैलेश नवाल,  
जिल्हाधिकारी, अमरावती.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५७७.

**भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (एक) अन्वये. —**

क्रमांक कावि-अका-भूसंपादन-मानेगाव-२०४-२०२०. —

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एम.आय.एस. ११-२०१४-सी.आर.७१-अ-२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त जमीन” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेले आहे.

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे.

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ;

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जा., यांना पदनिर्देशित करीत आहे.

### अनुसूची-एक

#### जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६-मानेगाव-२०१८-१९,

गाव जिगाव प्रकल्पांतर्गत मौ. मानेगाव, तालुका जळगाव जा., जिल्हा बुलडाणा

अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा अंदाजित क्षेत्र

गट क्रमांक

(१)

(२)

(३)

१

२०९

हे. आर  
२ ४१

एकूण . . २ ४१

**अनुसूची-दोन****सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकल्पाचे नांव        | :— जिगांव प्रकल्प, ता. नांदुरा, जि. बुलडाणा.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रस्तावाचे नांव       | :— मौजे मानेगांव, ता. जळगांव जा., जि. बुलडाणा.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रकल्प कार्याचे वर्णन | :— जिगांव प्रकल्पातर्गत बाधित होणा-या मौजे मानेगांवचे पुनर्वसन गावठाण मौजे मानेगांव (नविन), ता. जळगांव जा. येथील आवश्यक असलेली अतिरिक्त २.४९ हे. जमीन.                                                                                                                                                       |
| समाजाला मिळणारे लाभ    | :— या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणपुरवठा होणार आहे. त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात (Standard of Living) सुधारणा होणार आहे. |

**अनुसूची-तीन**

**बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे** :— सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यास शेतक-यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत असल्याने तसेच त्यामधील व्यक्ती विस्थापित होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे.

**अनुसूची-चार****सामाजिक परीणाम निर्धारणाचा सारांश**

अतिरिक्त संचालक, भारत सरकार व पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड, नवी दिल्ली-११० ००३ क्रमांक जे-१२०११-२२-२००७-आयएआय, दिनांक ११-०२-२००७ अन्वये पर्यावरण सर्वेक्षण मंजूरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण क्र.०२ कलम ६(२) चे परंतुकानुसार provided that in respect of irrigation project where the process of Environment Impact Assessment is required under the provision of any other law for the time being in force, the provision of the Act relating to Social Impact Assessment shall not apply असे नमुद केले असल्याने सामाजिक परिणाम निर्धारण लागू नाही.

**अनुसूची-पाच****नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील**

(अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक-यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुषंगग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत असल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता आहे. सबब प्रशासक नियुक्त करण्यात येत आहे.

|                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता                                                | :— उपविभागीय अधिकारी, जळगांव जा.                                                 |
| (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील | :— शासकीय अधिसूचना, महसूल व वनविभाग क्र. आर.पी.पी.ए. २०१५-र-अ, दिनांक १०-६-२०१५. |

**टीप**—उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जळगांव जामोद, जि. बुलडाणा, यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५७८.

**भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.**

क्रमांक कावि-उविअ-तथा भूसं-क.लि.३-१७३७-२०२०.—

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) परंतु याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यकता आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, त्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (४) अनुसार कोणताही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीचा प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

**अनुसूची-एक**

**जमिनीचे वर्णन**

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-२०१६-१७, गाव रोहडा, तालुका चिखली, जिल्हा बुलडाणा

| अ.क्र. | भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र |         |        |
|--------|---------------------------------|-----------------|---------|--------|
|        |                                 | वहिती योग्य     | पोटखराब | एकूण   |
| (१)    | (२)                             | (३)             |         |        |
|        |                                 | हे. आर          | हे. आर  | हे. आर |
| १      | ३७३                             | ० २१            | ० ००    | ० २१   |
| २      | ३७४                             | ० १५            | ० ००    | ० १५   |

## अनुसूची-एक—चालू

| (१)                      | (२) | (३)    |        |        |
|--------------------------|-----|--------|--------|--------|
|                          |     | हे. आर | हे. आर | हे. आर |
| ३                        | ३८० | ० ०९   | ० ००   | ० ०९   |
| ४                        | ३७९ | ० ११   | ० ००   | ० ११   |
| ५                        | ४३६ | ० १६   | ० ००   | ० १६   |
| ६                        | ४२३ | ० ०८   | ० ००   | ० ०८   |
| एकूण संपादित क्षेत्र . . |     | ० ८०   | ० ००   | ० ८०   |

## अनुसूची-दोन

## सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

- प्रकल्पाचे नांव : खडकपुरा प्रकल्प, देऊळगावराजा.
- प्रकल्प कार्याचे वर्णन : खडकपुरा प्रकल्पाच्या उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र. ४ मुख्य कालव्यावरील बांधकामाकरीता.
- समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ होऊन समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीमध्ये प्रगती झाली.  
(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात)

## अनुसूची-तीन

## बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

— निरंक —

## अनुसूची-चार

## पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ असाधारण क्र. ३८ अधिसूचना क्र. संकीर्ण १-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये या भूसंपादनाचे प्रयोजन सिंचनासाठी असल्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

## अनुसूची-पाच

## नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

- (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा.
- (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, ता.जि. बुलडाणा.
- (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील. : पुनर्वसनाची आवश्यकता नाही.

टीप.—उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, ता.जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करण्यात येईल.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५७९.

**भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.**

क्रमांक कावि-उविअ-तथा भुसं-क.लि.३-१७३८-२०२०.—

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) परंतु याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, त्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (४) अनुसार कोणताही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीचा प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “उक्त नियम” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. तसेच प्रकरणात ७/१२ मध्ये मूळ मालक व ताबेधारक यांचा ताबा बदल असल्याचे दिसून येते व उपअधीक्षक यांनी शेर कोष्टकी सदरचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याबाबत नमूद केलेले आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपउपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

### अनुसूची-एक

#### जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-२०१६-१७, गाव कवठळ, तालुका चिखली, जिल्हा बुलडाणा

| अ.क्र.                   | भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र |         |        |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|--------|
|                          |                                 | वहिती योग्य     | पोटखराब | एकूण   |
| (१)                      | (२)                             | (३)             |         |        |
|                          |                                 | हे. आर          | हे. आर  | हे. आर |
| १                        | १९६                             | ० १०            | ० ००    | ० १०   |
| २                        | १९६                             | ० १०            | ० ००    | ० १०   |
| एकूण संपादित क्षेत्र . . |                                 | ० २०            | ० ००    | ० २०   |

**अनुसूची-दोन****सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण**

|                        |                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकल्पाचे नांव        | : खडकपुरा प्रकल्प, देऊळगावराजा.                                                                                                                                                |
| प्रकल्प कार्याचे वर्णन | : खडकपुरा प्रकल्पाच्या उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र. ४ मुख्य कालव्यावरील बांधकामाकरीता भूसंपादन प्रस्ताव.                                                                        |
| समाजाला मिळणारे लाभ    | : या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ होऊन समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीमध्ये प्रगती झाली.<br>(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) |

**अनुसूची-तीन****बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे**

— निरंक —

**अनुसूची-चार****पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश**

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ असाधारण क्र. ३८ अधिसूचना क्र. संकीर्ण १-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये या भूसंपादनाचे प्रयोजन सिंचनासाठी असल्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

**अनुसूची-पाच****नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील**

|                                                                                    |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम                        | : उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा.     |
| (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता                                                 | : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, ता.जि. बुलडाणा. |
| (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील. | : पुनर्वसनाची आवश्यकता नाही.                           |

**टीप.**—उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, ता.जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करण्यात येईल.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५८०.

**भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.**

क्रमांक कावि-उविअ-तथा भुसं-क.लि.३-१७३९-२०२०.—

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम-३ च्या खंड (इ) परंतु याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र.७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड-ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल.

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते, त्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ;

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (४) अनुसार कोणताही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ;

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीचा प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही.

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उप नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. तसेच प्रकरणात ७/१२ मध्ये मूळ मालक व ताबेधारक यांचा ताबा बदल असल्याचे दिसून येते व उपअधीक्षक यांनी शेर कोष्टकी सदरचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याबाबत नमूद केलेले आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपउपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा यांस पदनिर्देशित करित आहे.

## अनुसूची-एक

### जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-२०१६-१७, गाव मेरा (खु.), तालुका चिखली, जिल्हा बुलडाणा

| अ.क्र.                   | भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक | अंदाजित क्षेत्र |         |        |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---------|--------|
|                          |                                 | वहिती योग्य     | पोटखराब | एकूण   |
| (१)                      | (२)                             | (३)             |         |        |
|                          |                                 | हे. आर          | हे. आर  | हे. आर |
| १                        | २१६                             | ० ०१            | ० ००    | ० ०१   |
| २                        | २१९                             | ० ०३            | ० ००    | ० ०३   |
| ३                        | १६७                             | ० ०२            | ० ००    | ० ०२   |
| एकूण संपादित क्षेत्र . . |                                 | ० ०६            | ० ००    | ० ०६   |

## अनुसूची-दोन

## सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

|                                                                                               |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रकल्पाचे नांव                                                                               | : खडकपुर्णा प्रकल्प, देऊळगावराजा.                                                                         |
| प्रकल्प कार्याचे वर्णन                                                                        | : खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र. ४ च्या मुख्य कालव्यावरील मेरा लघुपाट ३ व ४ कामासाठी. |
| समाजाला मिळणारे लाभ<br>(आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयी सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) | : या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ होऊन समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीमध्ये प्रगती झाली.      |

## अनुसूची-तीन

## बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे

— निरंक —

## अनुसूची-चार

## पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश (सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ असाधारण क्र. ३८ अधिसूचना क्र. संकीर्ण १-२०१५-प्र.क्र.३-अ-२, दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये या भूसंपादनाचे प्रयोजन सिंचनासाठी असल्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

## अनुसूची-पाच

## नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

|                                                                                    |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम                        | : उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा.     |
| (ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता                                                 | : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, ता.जि. बुलडाणा. |
| (क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील. | : पुनर्वसनाची आवश्यकता नाही.                           |

**टीप.**—उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, ता.जि. बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करण्यात येईल.

बुलडाणा :  
दिनांक २७ ऑगस्ट २०२०.

सुमन चंद्रा,  
जिल्हाधिकारी,  
बुलडाणा.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५८१.

### उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३.

क्रमांक म.अ.-भूस-कावि-५९२-२०२०.—

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम-११ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्रमांक ७०९-२०१९, दिनांक २३ जुलै २०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ;

आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट-कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ;

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे.

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी प्रकाश राउत, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम, जि. वाशिम यांना पदनिर्देशित करित आहे.

### अनुसूची-एक

#### संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १५-४७-२०१८-१९, गाव खडकी, ता. मालेगांव, जि. वाशिम

| अनुक्रमांक<br>(१) | सर्व्हे नंबर/गट नंबर<br>(२) | संपादित क्षेत्र<br>(३) |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|
|                   |                             | हे. आर                 |
| १                 | २८                          | ० ०३                   |
| २                 | २९                          | ० ०३                   |
| ३                 | ३०                          | ० १८                   |
| ४                 | ३१                          | ० ११                   |
| ५                 | ३२                          | ० ०९                   |
| ६                 | ३५                          | ० १२                   |
| ७                 | ३६                          | ० १३                   |

एकूण क्षेत्र . . ० ६९

## अनुसूची-दोन

## सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| प्रकल्पाचे नांव        | : मौजे खडकी येथील जमीन खडकी ल.पा.यो.चे डाव्या मुख्य कालव्याचे कामाकरीता. |
| प्रकल्प कार्याचे वर्णन | : खडकी ल.पा.यो.चे डाव्या मुख्य कालव्याचे कामाकरीता.                      |
| समाजाला मिळणारे लाभ    | : या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे.                     |

## अनुसूची-तीन

## पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन

— निरंक —

## अनुसूची-चार

## पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश

— निरंक —

वाशिम् :

दिनांक १४ सप्टेंबर २०२०.

प्रकाश राउत,

उपविभागीय अधिकारी तथा

भूसंपादन अधिकारी, वाशिम्.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५८२.

## कार्यकारी अभियंता, यांजकडून

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५.—

## अधिसूचना-३

क्रमांक १६९५-तांशा-२-२०२०.—

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलमे ५, ६, ७ व नियम ३ नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, स्मिता अ. मानकर, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला खालील प्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे अद्यावत नकाशाच्या प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करित आहे.

त्याअर्थी, स्मिता अ. मानकर, कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन याखाली येणा-या जमिनीच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणी पुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकरण राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, अकोला पाटबंधारे मंडळ, अकोला यांच्या कार्यालयात अपील करता येईल.

## अनुसूची

प्रकल्पाचे नाव :- खिरखुंड लघु प्रकल्प

पाणी वापर संस्थेचे नांव व पत्ता :- कृषीमित्र उपसा सिंचन पाणी वापर संस्था, भंडारज, ता. अंजनगाव, जि. अमरावती

अ. क्र. पाणी वापर संस्थेचे गाववार स. नं./गट नं. वार

| (१) | (२) | (३)  | पाणी वापर संस्थेचे |              |
|-----|-----|------|--------------------|--------------|
|     |     |      | एकूण क्षेत्र       | एकूण क्षेत्र |
|     |     |      | हे. आर             | हे. आर       |
|     |     |      | भंडारज             |              |
| १   | १४७ | १ २१ | ० ६०               |              |
| २   | १४७ | १ ९९ | ० ६०               |              |
| ३   | ८८  | २ ४८ | ० ६०               |              |
| ४   | २०  | १ ४४ | ० ६०               |              |
| ५   | २०  | १ ६४ | ० ६०               |              |
| ६   | ९४  | ० ८१ | ० ६०               |              |
| ७   | ९५  | ६ ३३ | ० ६०               |              |

| अनुसूची-चालू |     |        |        | अनुसूची-चालू |     |        |        |
|--------------|-----|--------|--------|--------------|-----|--------|--------|
| (१)          | (२) | (३)    | (४)    | (१)          | (२) | (३)    | (४)    |
|              |     | हे. आर | हे. आर |              |     | हे. आर | हे. आर |
| ८            | १०२ | १ २३   | ० ६०   | ४८           | ६४० | १ ६४   | ० ६०   |
| ९            | १११ | १ ८०   | ० ६०   | ४९           | ६४० | १ ५४   | ० ६०   |
| १०           | ११२ | २ ८६   | ० ६०   | ५०           | ६४० | २ ८३   | ० ६०   |
| ११           | १३२ | ४ ०७   | ० ६०   | ५१           | ६५७ | १ ६०   | ० ६०   |
| १२           | १३२ | १ २२   | ० ६०   | ५२           | ६६२ | ५ ०९   | ० ६०   |
| १३           | १३५ | २ ०२   | ० ६०   | ५३           | १८६ | १ २३   | ० ६०   |
| १४           | १४१ | २ ६५   | ० ६०   | ५४           | ६२६ | ० ८२   | ० ४०   |
| १५           | १४१ | २ ००   | ० ६०   | ५५           | ४   | १ ७०   | ० ६०   |
| १६           | १४५ | ० ४१   | ० ४०   |              |     |        |        |
| १७           | १५१ | १ ७३   | ० ६०   |              |     |        |        |
| १८           | १९९ | १ ५५   | ० ६०   |              |     |        |        |
| १९           | २८५ | १ ५३   | ० ६०   |              |     |        |        |
| २०           | ३०७ | १ ००   | ० ६०   |              |     |        |        |
| २१           | ३४६ | १ ७०   | ० ६०   |              |     |        |        |
| २२           | ३९७ | १ ८१   | ० ६०   |              |     |        |        |
| २३           | ४०२ | १ ६५   | ० ६०   |              |     |        |        |
| २४           | ४०६ | १ ७५   | ० ६०   |              |     |        |        |
| २५           | ४१२ | १ ५३   | ० ६०   |              |     |        |        |
| २६           | ४५४ | १ ६२   | ० ६०   |              |     |        |        |
| २७           | ४५९ | १ २१   | ० ६०   |              |     |        |        |
| २८           | ४७८ | १ ४६   | ० ६०   |              |     |        |        |
| २९           | ४७७ | १ ८७   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ३०           | ४७७ | १ ७२   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ३१           | ४८२ | ० ९८   | ० ४०   |              |     |        |        |
| ३२           | ४८९ | ० ८१   | ० ४०   |              |     |        |        |
| ३३           | ५४८ | १ ७३   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ३४           | ५८७ | ० ८१   | ० ४०   |              |     |        |        |
| ३५           | ५८८ | १ ८७   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ३६           | ६०५ | २ ४५   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ३७           | ६२१ | १ ६२   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ३८           | ६२३ | ५ ७७   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ३९           | ४७८ | ४ ७८   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ४०           | ६२५ | ५ ७७   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ४१           | ६२५ | ५ ७७   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ४२           | ६२८ | १ ३३   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ४३           | ६२९ | २ ८२   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ४४           | ६२९ | १ ६१   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ४५           | ६२९ | १ ६२   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ४६           | ६२९ | १ ९१   | ० ६०   |              |     |        |        |
| ४७           | ६४७ | १ २१   | ० ६०   |              |     |        |        |

पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र . . ३२ ००

स्मिता अ. मानकर,  
कार्यकारी अभियंता,  
दिनांक ७ सप्टेंबर २०२०. लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला.

भाग १ (अ. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. ५८३.

BY EXECUTIVE ENGINEER

MMISF ACT, 2005.—

#### Notification-III

No. 1695-TB-2-2020.—

Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water User's Association (WUA's) on hydraulic basis and as per administrative convenience under Sections 5,6,7 and rule 3 of the MMISF ACT, 2005. I, S. A. Mankar, Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Akola hereby, delineate area of operation of following WUA's and shall be displayed on the notice board of the Offices of Concerned *Gram panchayat*, Tahsil Office, Irrigation Section, Sub-Division and Division and at other prominent public places.

Therefore, I, S. A. Mankar, Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Akola also hereby, declare that no water should be supplied by the Appropriate Authority to an individuals holder for occupier of such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers.

Any person affected by the notification or part thereof, may within thirty (30) days from the date of publication of this notification in the *Official Gazette*, file an appeal

before Superintending Engineer, Akola Irrigation Circle  
Akola.

## SCHEDULE—Contd.

| SCHEDULE                                                    |                                          |           |                      | (1)                   | (2) | (3)   | (4)   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----|-------|-------|
|                                                             |                                          |           |                      |                       |     | H. A. | H. A. |
| <b>Name of Irrigation Project : Khirkhund Minor Project</b> |                                          |           |                      | 27                    | 459 | 1 21  | 0 60  |
| <b>Name and Address of WUA : Krishimitra W. U. A.</b>       |                                          |           |                      | 28                    | 478 | 1 46  | 0 60  |
| Bhandaraj, Tq. Anjangaon, District-Amravati.                |                                          |           |                      | 29                    | 477 | 1 87  | 0 60  |
| <b>Sr. No. Village wise Survey No/Gut No. wise Area</b>     |                                          |           |                      | 30                    | 477 | 1 72  | 0 60  |
| Sr. No.                                                     | Village wise Survey No/Gut No. wise Area |           |                      | 31                    | 482 | 0 98  | 0 40  |
|                                                             | Survey No./<br>Gut No.                   | Area      | Total Area of<br>WUA | 32                    | 489 | 0 81  | 0 40  |
| (1)                                                         | (2)                                      | (3)       | (4)                  | 33                    | 548 | 1 73  | 0 60  |
|                                                             |                                          | H. A.     | H. A.                | 34                    | 587 | 0 81  | 0 40  |
|                                                             |                                          | Bhandaraj |                      | 35                    | 588 | 1 87  | 0 60  |
| 1                                                           | 147                                      | 1 21      | 0 60                 | 36                    | 605 | 2 45  | 0 60  |
| 2                                                           | 147                                      | 1 99      | 0 60                 | 37                    | 621 | 1 62  | 0 60  |
| 3                                                           | 88                                       | 2 48      | 0 60                 | 38                    | 623 | 5 77  | 0 60  |
| 4                                                           | 20                                       | 1 44      | 0 60                 | 39                    | 478 | 4 78  | 0 60  |
| 5                                                           | 20                                       | 1 64      | 0 60                 | 40                    | 625 | 5 77  | 0 60  |
| 6                                                           | 94                                       | 0 81      | 0 60                 | 41                    | 625 | 5 77  | 0 60  |
| 7                                                           | 95                                       | 6 33      | 0 60                 | 42                    | 628 | 1 33  | 0 60  |
| 8                                                           | 102                                      | 1 23      | 0 60                 | 43                    | 629 | 2 82  | 0 60  |
| 9                                                           | 111                                      | 1 80      | 0 60                 | 44                    | 629 | 1 61  | 0 60  |
| 10                                                          | 112                                      | 2 86      | 0 60                 | 45                    | 629 | 1 62  | 0 60  |
| 11                                                          | 132                                      | 4 07      | 0 60                 | 46                    | 629 | 1 91  | 0 60  |
| 12                                                          | 132                                      | 1 22      | 0 60                 | 47                    | 647 | 1 21  | 0 60  |
| 13                                                          | 135                                      | 2 02      | 0 60                 | 48                    | 640 | 1 64  | 0 60  |
| 14                                                          | 141                                      | 2 65      | 0 60                 | 49                    | 640 | 1 10  | 0 60  |
| 15                                                          | 141                                      | 2 00      | 0 60                 | 50                    | 640 | 2 83  | 0 60  |
| 16                                                          | 145                                      | 0 41      | 0 40                 | 51                    | 657 | 1 54  | 0 60  |
| 17                                                          | 151                                      | 1 73      | 0 60                 | 52                    | 662 | 5 09  | 0 60  |
| 18                                                          | 199                                      | 1 55      | 0 60                 | 53                    | 186 | 1 23  | 0 60  |
| 19                                                          | 285                                      | 1 53      | 0 60                 | 54                    | 626 | 0 82  | 0 40  |
| 20                                                          | 307                                      | 1 00      | 0 60                 | 55                    | 4   | 1 70  | 0 60  |
| 21                                                          | 346                                      | 1 70      | 0 60                 | Total Area of WUA . . |     |       | 32 00 |
| 22                                                          | 397                                      | 1 81      | 0 60                 |                       |     |       |       |
| 23                                                          | 402                                      | 1 65      | 0 60                 |                       |     |       |       |
| 24                                                          | 406                                      | 1 75      | 0 60                 |                       |     |       |       |
| 25                                                          | 412                                      | 1 53      | 0 60                 |                       |     |       |       |
| 26                                                          | 454                                      | 1 62      | 0 60                 |                       |     |       |       |

Akola :  
The 7<sup>th</sup> September 2020.

S. A. MANKAR,  
Executive Engineer,  
Minor Irrigation Division, Akola.